



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 471]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 31, 2019/माघ 11, 1940

No. 471]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2019/MAGHA 11, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2019

(आयकर)

का.आ. 584(अ).—केंद्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 56 की उपधारा (2) के खण्ड (viiख) के परंतुक के खण्ड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 24 मई, 2018 में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2088(अ) तारीख 24 मई, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. उक्त अधिसूचना में “शेयर जारी करने पर कंपनी द्वारा प्राप्त ऐसे प्रतिफल को लागू नहीं होंगे जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, यदि प्रतिफल, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी की गई भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i), तारीख 11 अप्रैल, 2018 में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 364 (अ) तारीख 11 अप्रैल, 2018 के पैरा 4 के उप-पैरा (3) के खंड (i) के अधीन अंतरमंत्रालयी प्रमाणन बोर्ड द्वारा अनुदत्त किए गए अनुमोदन के अनुसार विनिधानकर्ता से, शेयर जारी करने पर प्राप्त किया गया है।” शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर “शेयर जारी करने पर कंपनी द्वारा विनिधानकर्ता से प्राप्त ऐसे प्रतिफल के लिए लागू नहीं होंगे जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य से अधिक है, यदि औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा जारी और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 उपखंड (i), तारीख 11 अप्रैल, 2018 में प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 364(अ) तारीख 11 अप्रैल, 2018 के पैरा 4 के अधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा अनुमोदित शेयरों का ऐसा निर्गमन जिसे अधिसूचना संख्या 34(अ) तारीख 16 जनवरी, 2019 द्वारा उपान्तरित किया गया और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 16 जनवरी, 2019 में प्रकाशित किया गया है” शब्द, अक्षर, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

3. यह अधिसूचना भूतलक्षी रूप से 16 जनवरी, 2019 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 9/2019/फा. सं. 370142/5/2018-टीपीएल(भाग)]

प्रवीण रावल, निदेशक (कर नीति और विधान)

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में का.आ. संख्यांक 2088(अ) तारीख 24 मई, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

स्पष्टीकारक ज्ञापन : वर्तमान अधिसूचना को प्रभावी करने पर किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।